न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 58 / 2020

भगवान स्वरूप शर्मा, रिटायर्ड आर0ए0एस0,19 पश्चिम,विहार–सी,केशोपुरा अजमेर रोड़ ,जयपुर ।

बनाम

तहसीलदार,बयाना ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 15.09.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट भगवान स्वरूप शर्मा, रिटायर्ड आर0ए0एस0,19 पश्चिम,विहार–सी,केशोपुरा अजमेर रोड़ ,जयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2020 तहसीलदार, बयाना से सूचना चाही गई थी । तहसीलदार, बयाना द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 444 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा तहसीलदार,बयाना से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में तहसीलदार,बयाना से उनके पत्र कमांक / 4246 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार,बयाना ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार,बयाना से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार,बयाना से प्राप्त जबाब पत्र कमांक / 4246 दिनांक 11.09.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को वांछित सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। तहसीलदार,बयाना ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 3551 दिनांक 04.08..2020 की प्रति भी भिजवाई गई है,जिससे स्पष्ट है कि रेस्पो. ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार,बयाना से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार,बयाना को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर